-1.

COURT FEE INDIA भारत विलोपित दस रुपये TEN RUPEES

CF 10/-

(118)

समक्ष – न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी

(बोर्ड आफ रेवेन्यू),ग्वालियर (म0प्र0)

अपील 1457-PB/(07)

RL 135 27-8-07

अपील प्रकरण कंमाक

1. मध्यप्रदेश शासन

द्वारा कलेक्टर जिला कटनी

2. उप पंजीयक , कटनी तह0 जिला कटनी

..........अपीलार्थीगण

क्रमांक 2633 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 27-8-07 को प्राप्त क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. श्री मति रेखा शाह पति बिन्दु शाह (अग्रवाल)

निवासी – 24 परगना मह शिवपुरी ,

जिला वाराणासी उ0प्र0

2. श्री गोपाल अग्रवाल पिता श्री अशोक कुमार अग्रवाल

निवासी – गणेश चौक सिविल लाईन, कटनी

तहसील व जिला कटनी

..........उत्तरार्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 47 (क),(5) स्टाम्प अधिनियम

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण कं – 447/बी–105/05–06 में पारित आदेश दिंनाक 04.10.2006 के परिवेदित होकर यह अपील धारा 47 (क)(5)स्टाम्प अधिनियम के अतंर्गत प्रस्तुत है ।

म0प्र0 लिखतो का न्यून मूल्यांकन नियम 1975 के नियम 9 (1) की जानकारी प्रदर्श पी 1 (P - 1) के रूप में सलंग्न है ।

कंमश ....2.

nu. 1457. PBR/07 (contd)

8-9-16 प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 447/बी-105/04-05 में पारित आदेश दिनांक 4-10-2006 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2/ अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्क एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में दिए गए तर्कों पर विचार किया गया । प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में लेख किया गया है कि अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश जिसके विरूद्ध यह अपील है, अपर आयुक्त के उसी आलोच्य आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा इस न्यायालय में अपील कमांक 2090-दो/06 प्रस्तुत की गई थी जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष ने दिनांक 6-10-10 को उभयपक्षों को सुनने के उपरांत अपील का निराकरण करते हुए अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाकर अपील अग्राह्य

नि0 1457-पीबीआर/07 (सतना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की गई है । प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील कमांक 2090–दो/06 पेश की गई थी जिसका निराकरण उभयपक्षों को सुनने के उपरांत तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिनांक 6–10–2010 को करते हुए अपर आयुक्त के आदेश को विधिसम्मत पाते हुए अपील को अग्राह्य किया गया है । चूंकि इस न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई कॉस अपील में अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर रखते हुए निगरानी को अग्राह्य किया जा चुका है, और उस आदेश को कोई चुनौती किसी पक्षकार द्वारा दी गई है, यह नहीं बताया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अंतिम हो गया है और उक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए यह निगरानी भी निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों अभिलेख वापिस हों । सदस्य	